

15  
YEARS OF  
CELEBRATING  
THE MAHATMA



राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जालोर

क्रमांक:- रा.कि.गृ./373

दिनांक:- 15/07/2021

निविदा सूचना संख्या:- 03/2021-22

कार्यालय अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, में वर्ष 2021-22 (दिनांक 01.08.2021 से 31.07.2022) हेतु निविदा सूचना स. 03/2021-22 हेतु जॉब/विजिट बेसिस कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार मानव संशाधन उपलब्ध करवाने हेतु मोहर बन्द निविदा पंजीकृत संवेदकों/ बोलीदाता से आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी विस्तृत सूचना इस कार्यालय में एवं वेबसाईट <http://www.sje.rajasthan.gov.in>, एवं <http://sppp.raj.nic.in> पर देखी जा सकती है।

NIB Code-

1 UBN No. -

2 UBN No. -

*Sushant Singh*  
(सुभाषचन्द्र मणि)

अधीक्षक

राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह

जालोर

दिनांक : 15/07/2021

क्रमांक:- रा.कि.गृ./21/374-78

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
2. सम्पादक, जागरूक टाईम्स को उक्त विज्ञाप्ति न्यूनतम स्थान पर DIPR की अनुमोदित दरों पर प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में इस कार्यालय के नाम भिजवाने हेतु।
3. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण ईकाई जालोर।
4. प्रोग्रामर, बाल अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर को वास्ते विभागीय वेबसाईट पर ऑनलाईन करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड कलेक्ट्रेट/जिला परिषद/कार्यालय हाजा।

*Sushant Singh*  
अधीक्षक

राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह  
जालोर

राजस्थान सरकार  
कार्यालय अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जालोर

दिनांक:- 15/07/2021

क्रमांक:- रा.कि.गृ./21/373

-:: निविदा सूचना रा:-03/2021-22 ::-

कार्यालय अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, मेर वर्ष 2021-22 (दिनांक 01.08.2021 से 31.07.2022) हेतु निविदा सूचना स. 03/2021-22 हेतु निम्न जॉब/विजिट वेसिस कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार मानव संशाधन उपलब्ध करवाने हेतु मोहर वन्द निविदा पंजीकृत संवेदकों/ खोलीदाता से आमत्रित की जाती है। यह निविदाये निर्धारित तिथि को उपरिथित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

क्र. स.	पद का विवरण / संख्या	अनुगानित लागत रूपये लाखों में	घरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्य अवधि	निविदा पत्र डाउनलोड करने की तिथि	निविदा पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	(निविदा सूचना रा. 03/2021-22) राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह जालोर हेतु उच्च कुशल, कुशल, अद्वकुशल, अकुशल एवं प्रशिक्षित कार्मिक जॉब वेसिसि / विजिट वेसिस पर मानव संशाधन उपलब्ध कराने वावत्	9.82 लाख	निर्धारित प्रारूप मे 50/- के स्टाम्प पर घोषणा पत्र एवं 19640/- का ड्राफ्ट	500	एक वर्ष के लिए	16.07.2021 से 23.07.2021	23.07.2021 दोपहर 1 बजे तक	23.07.2021 को साय 4 बजे

- निविदा शुल्क/ निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ वैकर्स चैक मूल रूप में (भौतिक रूप से) निर्धारित अवधि तक अधीक्ष राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जालोर में जमा होने की रिथति मे ही निविदा खोली जावेगी। कृपया इसका विशेष ध्यान रखे तथा उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट/ वैकर्स चैक निविदा के साथ प्रस्तुत करें।
- निविदा निर्धारित प्रपत्र मे ही रखीकार की जावेगी।
- निविदा प्रपत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज निर्धारित तिथि को किसी भी कार्य दिवस मे निविदा प्रपत्र शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करवाकर दिनांक 23.07.2021 को दोपहर 01 बजे तक कार्यालय समय मे प्राप्त किये जो सकते हैं या वेबसाईट <http://www.sje.rajasthan.gov.in> <http://sppp.rajasthan.gov.in> से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क (500रु) की डी.डी

निविदादाता द्वारा पृथक से अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जालोर के नाम से वनवाकर दिनांक 23.07.2021 को दोपहर 1 बजे तक निविदादाता द्वारा खोली जावेगी। जो दिनांक 23.07.2021 को उपरिथित निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय उपायन समिति द्वारा खोली जावेगी।

*Subhash*  
(सुमाष चन्द्र मणि)

अधीक्षक  
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह,  
जालोर

दिनांक : 15/07/2021

क्रमांक:- रा.कि.गृ./21/374-78

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, निदेशालय वाल अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
- सम्पादक जागरूक टाईम्स को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन करावें।
- जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला वाल सरकारी ईकाई जालोर।
- प्रोग्रामर, वाल अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर को वास्ते विभागीय वेबसाईट पर ऑनलाइन करने हेतु।
- नोटिस बोर्ड कलेक्ट्रेट/जिला परिषद/ कार्यालय हाजा।

*Subhash*

अधीक्षक

राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह,  
जालोर

राजस्थान सरकार  
कार्यालय अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जालोर

दिनांक:-

क्रमांक:-वा.अ.वि./21/

निविदा प्रपत्र

- कार्यालय अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जालोर  
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह जालोर एवं विशेषज्ञ दत्तक गृहण एंजेसी हेतु  
मानव संसाधन जॉब बेसिस / विजिट बेसिस पर उपलब्ध कराने बाबत
- क्रमशः— 9.82 लाख
1. उपापन संरथा का विवरण:  
2. कार्य का विवरण  
3. अनुमानित लागत  
4. बोलीदाता का विवरण :  
(1) संरथा का नाम (बोलीदाता / सर्वेदक):.....  
(2) पूर्ण पता :.....  
(3) टेलीफोन नं. :.....  
(4) मोबाईल नं. :.....  
(5) ई—मेल पता :.....  
5. सर्वेदक / बोलीदाता का पैन नं. :  
(छाया प्रति सलंगन करें)  
6. सर्वेदक / बोलीदाता गत तीन वित्तीय वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न. (यदि हो तो) :  
(2018–19, 2019–20, 2020–21 छाया प्रति सलंगन करें)  
7. बोलीदाता / सर्वेदक द्वारा निविदा तकनीकी व वित्तीय अलग अलग लिफाफे में प्रस्तुत करने होगी।  
8. गत वर्षों में ब्लेक लिस्टेड नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र सलंगन करें :  
9. निविदा में सलंगन परिशिष्ट – 1, व 2 आवश्यक रूप से भरकर सलंगन करने हैं।  
10. निविदा शुल्क विवरण : डीडी नम्बर ..... दिनांक ..... राशि .....
11. मैं/हम कार्यालय अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह जालोर द्वारा जारी की गई बोली सुचना क्रमांक ..... दिनांक ..... मैं वर्णित समर्त शर्तों तथा सलंगन पत्रों (जिसमें समर्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं) मैं/हम दी गई समर्त भार्तों से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते हैं साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा बोली के साथ सलंगन किये गये समर्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। यदि बोली प्रक्रिया या बोली प्रक्रिया किसी भी सभी दस्तावेज विविध/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि बोली प्रक्रिया या बोली प्रक्रिया किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूँगा एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बोली/अनुबंध को निरस्त करने, मेरे/हमारे विरुद्ध कानून/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए समक्ष होगा।

Signature of the Bidder with Seal

राजस्थान सरकार  
कार्यालय अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जालोर

(लिफाफा नं. 01)  
तकनीकी-बिड प्रपत्रः— 03 / 2021–22 :-

1. दर संविदादाता का नामः—.....
2. दर संविदादाता का पताः—.....
3. मोबाईल नम्बर / मेल आईडीः—.....

**A.Details of Bidder**

क्रम संख्या	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970)				
2	कर्मचारी भविश्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर(जीएसटी)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एकट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एकट 1956 के अन्तर्गत				
7	गत तीन वित्तीय वर्षों का किसी भी सरकारी विभाग मे संबंधित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र सलग्न करेयदि हो तो)। (2018–19,2019–20,2020–21)				
8.	गत तीन वित्तीय वर्षों की पी.एफ.ई.अस.आई व जी.एस.टी चालानों की प्रति सलग्न करना अनिवार्य होगा (2018–19,2019–20,2020–21)(यदि हो तो)				
9.	मानव संसाधन उपलब्ध करवाने का आईएसओ प्रमाण पत्र (यदि हो तो)				
10.	गत तीन वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न की छायाप्रति (2017–18,2018–19,2019–20)(यदि हो तो)				
11.	किसी भी सरकारी विभाग / संस्था से ब्लेक लिस्टेड नहीं होने संबंधी एवं निविदा शर्तों की सहमति का घोषणा पत्र सलग्न करें				

**signature of bidder with seal**

राजस्थान सरकार  
कार्यालय अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जालोर

—:: वित्तीय निविदा प्रपत्र :-03/2021-22 ::-

1. दर संविदादाता का नाम:- .....
2. दर संविदादाता का पता:- .....
3. मोबाइल नम्बर / मेल आईडी:- .....

क्र. स.	कार्य की प्रकृति	श्रमिक की श्रेणी	पदों की संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्युनतम/विभाग द्वारा अधिकतम गजदूरी दर प्रतिमाह प्रति व्यक्ति	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	जीएसटी एवं टीडीएस	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (पूर्ण रूपयों में)	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	काउन्सलर	उच्च कुशल	1	10000						
2	रसोइया	कुशल	1	6474						
3	सहायक (Assistant) च.श्रे.क.	अकुशल	1	5850						
4	कम्प्यूटर ऑपरेटर	उच्च कुशल	3	8500						
5	कैयर टेकर	कुशल	3	6474						
6	नर्स	उच्च कुशल (विजिट वेस)	1	7774						
7	स्वीपर	अकुशल	1	5850						

नोट : सेवा प्रदाता/संवेदक/निविदादाता द्वारा उपरोक्त में से कॉलम नं. 11 में 6, 9 एवं 10 की पूर्ति की जानी है तथा प्रस्तुत दरे श्रम विभाग राजस्थान द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी।  
कॉलम संख्या 9 में कॉलम संख्या 6 के अनुसार जीएसटी एवं टीडीएस अंकित करें राशि मय प्रतिशत।

दिनांक:- .....

हस्ताक्षर निविदादाता

**राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह जालोर  
निविदा का विवरण**

क्र. स.	पद का नाम	अधिकतम दर (प्रतिमाह प्रति पद)	कार्य का विवरण	शैक्षणिक योग्यता	पदों की संख्या
1.	काउन्सलर (विजिट बेसिस)	10000	<ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 35235 दिनांक 28.02.2019 से जारी मार्गदर्शिका के अनुरूप काउन्सलिंग करना।</li> <li>बच्चों के शारीरिक एवं भावनात्मक स्थिति को समझना।</li> <li>उसकी पीड़ा को दूर करना और चौट के भ्राव तथा विकास को बढ़ावा देना।</li> <li>बच्चे के अनुसार बताये गये घटना के कारणों का जानना एवं सुनना।</li> <li>जब बच्चे मुश्किल में हो तो उचित ढंग से प्रतिक्रिया देना।</li> <li>सालक की उपस्थिति, हावभाव, चाल, आवाज से उसके बारे में अनेक बातें जानना।</li> <li>इस तरह के सम्प्रेक्षण के प्रयोग में शब्दों की बजाय महसूस करना।</li> <li>जो बच्चे उन्हे रैफर किए गए हैं उन्हे परामर्श एवं सहायता देना और समूह आशारित गतिविधियां करना।</li> <li>बच्चे को उसके परिवार या समुदाय पुनः जोड़ने में सहायता करना।</li> <li>बच्चे के पूर्ण व्यक्तित्व और सामाजिक विकास को बढ़ाना तथा उसके स्वारश्य और कल्याण के लिए काम करना।</li> <li>जब आवश्यकता हो किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति/न्यायालय को काउन्सलिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करना अथवा गवाही के लिए जाना।</li> <li>उक्त के अतिरिक्त संरक्षण के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य संपादित करना।</li> </ul>	मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री बच्चों के साथ कार्य करने/ काउन्सलिंग का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव	01
2	रसोईया	6474	<ul style="list-style-type: none"> <li>निर्धारित समय पर चाय, नारंता, भोजन, रात्रि भोजन तैयार करना।</li> <li>बच्चों की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाना।</li> <li>अगले दिन बनाये जाने वाले भोजन हेतु बच्चों की राय प्राप्त करना।</li> <li>भोजन बनाते समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना।</li> <li>भोजन सामग्री समाप्त होने से पुर्व समय रहते अधीक्षक/प्रभारी/स्टोर कीपर को अवगत कराना।</li> <li>बीमार बच्चों हेतु अल्पाहार एवं पोशक भोजन तैयार करना।</li> <li>उक्त के अतिरिक्त संरक्षण के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य संपादित करना।</li> </ul>	साक्षर	01
3.	सहायक (Assistant) च.श्रेक.	5850	<ul style="list-style-type: none"> <li>संरक्षण के अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के कार्य में सहयोग उपलब्ध करना।</li> <li>बच्चों से मिलने आने वाले आगंतुकों को बच्चों से मुलाकात करवाना।</li> <li>संरक्षण में आने वाले अतिथियों एवं भासाशाहों का सत्कार करना।</li> <li>संरक्षण में बच्चों से संबंधित पत्रावलियों का सुव्यवरित्त रखरखाव में सहयोग प्रदान करना।</li> <li>बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना।</li> <li>उक्त के अतिरिक्त संरक्षण के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य संपादित करना।</li> </ul>	12 वीं पास	01
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	8500	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला बाल कल्याण समिति जालोर के कम्प्यूटर से राबृद्धित समरत कार्य।</li> <li>किशोर न्याय बोर्ड जालोर के कम्प्यूटर से राबृद्धित समरत कार्य।</li> <li>सप्रेक्षण एवं किशोर गृह संरक्षण के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा प्रदत्त कार्य संपादित करना।</li> </ul>	कम से कम स्नातक पास एवं पीजीडीसर/एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा मान्यता प्राप्त सर्व्या/आर. एस. सी. आई. टी./विश्वविद्यालय से तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी, अंग्रेजी टाईपिंग 35 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।	03
5	केयर टेकर	6474	<ul style="list-style-type: none"> <li>अधीक्षक द्वारा बताए गए समरत कार्यों का सम्पादन।</li> </ul>	12वीं पास	03
6	स्वीपर	5850	<ul style="list-style-type: none"> <li>साफ सफाई संबंधी समरत कार्य</li> </ul>	साक्षर	01

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

## -:: निविदा की सामान्य शर्तें ::-

1. सभी निविदा बंद लिफाफे में कार्यालय में स्वीकार की जायेगी।
2. निविदादाता को वित्तीय एवं तकनीकी निविदा अलग-अलग लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।
3. कार्य की अवधि कार्यादेश स्वीकृति की तिथि से 01.08.2021 से 31.07.2022 तक के लिए मान्य होगी। जिसे सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, जालोर द्वारा तीन माह के लिए बढ़ाया जा सकता है जिसके लिये अनुबंधित फर्म कार्य करने के लिए बाध्य है, इसके उपरांत दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ठेका अवधि बढ़ा जा सकती है।
4. निविदादाता/संस्था/फर्म/एजेंसी जिसने पूर्व में राजकीय कार्यालयों के अर्द्धशासकीय कार्यालयों में या अन्य संस्थाओं निविदा में कार्य करने का समर्त अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां निविदा पत्र के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी एवं इसके अभाव में उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित अमानता राशि का बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक जो कि सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर शाखा जालोर में भुगतान योग्य निविदा के साथ जमा करना होगा। सफल निविदादाता को निविदा मूल्य की 2 प्रतिशत प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृति के 5 दिवस में जमा करनी होगी। अन्यथा अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी। अमानता का प्रतिभूमि राशि समायोजन कर लिया जायेगा। द्वितीय न्यूनतम दर निविदादाता की अमानता राशि रोक कर शेष निविदादाता को आवेदन करने पर अमानता राशि लौटा दी जाएगी। अमानता राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. सफल निविदादाता द्वारा अवयर्स्क एवं अशक्त व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा।
7. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विभागीय क्रय/निविदा समिति के होगा।
8. सेवा प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार विभागीय क्रय/निविदा समिति को होगा।
9. दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार विभागीय क्रय/निविदा समिति के पास सुरक्षित होगा।
10. ई.एस.आई. व पी.एफ. विभाग में पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। संबंधित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करने होंगे। निविदादाता द्वारा जी.एस.टी. नम्बर का पंजीकरण संलग्न करना होगा।
11. निविदादाता को निविदा कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को ठेक सबलेट नहीं करेगा।
12. निविदा की शर्तों का उल्लंघन होने पर बिना नोटिस दिये निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।
13. निविदा के संबंध में अन्य कोई शर्त मान्य नहीं होगी। सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. निविदादाता के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों से लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस कर्मकार को हटाने का निर्देश सेवा प्रदाय कर्ता को देता है तो निविदादाता द्वारा उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा तथा अन्य व्यवस्था करनी होगी।
15. निविदादाता द्वारा जाँब कार्य हेतु उपलब्ध करवाये गये कर्मकारों के आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से निविदादाता जिम्मेदार होगा। निविदादाता को अपने कर्मकारों को पहचान/परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे।
16. सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर द्वारा निविदा से संबंधित कोई भी सूचना सेवा प्रदायकर्ता से कभी भी प्राप्त की जा सकेगी।
17. सफल निविदादाता द्वारा कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये गये कर्मकार किसी भी स्थिति में नियमित नियुक्ति के पात्र नहीं होगे।
18. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मकार उपलब्ध करवाये जाएंगे। यदि किसी समय निविदादाता द्वारा आवश्यकतानुसार कार्मिक उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर या कार्य संतोषजनक नहीं होने पर

अनुमोदित राशि के आधार पर गणना कर उक्त कटौती के साथ आंकलित राशि की 10 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में वित्त से काटी जाएगी।

- स काटा जाएगा।

  19. निविदादाता को श्रम विधि नियम, उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी करने की स्थिति में सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग जालोर के निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
  20. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेंस या अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह निविदादाता स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। निविदादाता को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिन गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकॉर्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
  21. प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी जिनके पास कार्यानुभव है उनके द्वारा समस्त कार्मिकों का ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. चालान की स्व प्रमाणित प्रति जमा कराने पर ही उनकी निविदा पर विचार किया जायेगा।
  22. निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरांत मृत्यु हो जाती है यह किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त दायित्व, क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने के जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिए सरकार/ सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर जिम्मेदार नहीं होगा।
  23. निविदा अनुमोदित होने पर संबंधित संस्था/फर्म/एजेंसी द्वारा रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध प्रस्तुत करना होगा जिसका व्यय संबंधित निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा सफल निविदादाता को अनुमोदित कार्य राशि की 2 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में डी.डी./बी.सी. जग करनी होगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
  24. प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी द्वारा सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्था से जॉब बेसिस कार्मिकों के लिये भुगतान प्राप्त करने के सात दिवस के अन्दर समस्त जॉब बेसिस कार्मिक को भुगतान निविदादाता द्वारा आवश्यक रूप से बैंक खाते के माध्यम से ही करने होगा।
  25. निविदादाता द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर या उसका कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में निविदादाता के स्वीकृत निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार विभागीय क्रय/निविदा समिति के होगा।
  26. प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी द्वारा सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्था से जॉब बेसिस कार्मिकों के लिये भुगतान प्राप्त करने के सात दिवसों के अन्दर समस्त जॉब बेसिस कार्मिक को भुगतान करने की बैंक पासबुक की छायाप्रति की स्व प्रमाणित प्रति जमा कराना अनिवार्य होगा तभी उनकी निविदा पर विचार किया जायेगा।
  27. यदि निविदादाता के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कर्मकार न्यायालय में आनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर, प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग जालोर पर पड़ने वाला समस्त भार निविदादाता से वसूला जाएगा।
  28. यदि निविदादाता एवं उसके कर्मकारों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग जालोर के प्रशासन का कोई दायित्व नहीं होगा।
  29. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई बाल अधिकारिता विभाग जालोर का निर्णय अंतिम होगा व निविदादाता को मानना होगा।
  30. निविदादाता के बिलों के भुगतान में से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेश/संशोधन आदेशों के अनुरूप टी.डी.एस., जी.एस.टी. अथवा अन्य करों की कटौती की जावेगी।
  31. किसी प्रकार का विवाद होने पर कानूनी कार्यवाही संबंधित जिला न्यायालय में ही होगी।
  32. समय-समय पर निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर, अध्यक्ष (जिला कलवटर) महोदय, जिला बाल संरक्षण इकाई जालोर एवं सचिव (सहायक निदेशक) जिला बाल संरक्षण इकाई जालोर के द्वारा दिये गये आदेशों की पालन सुनिश्चित करनी होगी।

33. ICPS, किशोर न्याय (वच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) एकट, 2015 में प्राप्त एवं संशोधित नियमों की पालना सुनिश्चित करने होगी।
34. गत वर्षों में व्लेक लिरस्टेड नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र संलग्न करें।  
मैंने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शब्द संख्या 1 से 34 तक को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत हैं। सहमति रूप निविदा की सामान्य शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। हमारे द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र परिशिष्ट 'अ' एवं परिशिष्ट 'ब' संलग्न हैं।

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर  
नाम एवं पता

**Annexure 1**  
**CERTIFICATE OF ANNUAL TURNOVER**

It is certify that the average annual turnover of M/s. ....  
.....  
..... Address  
.....  
..... for the last three financial year  
.....

Supply of regarding work was:-

Sr. No.	Financial Year	Annual Turnover in same Contract (Rs. In Lakh)	Remarks
1.	2018-19		
2.	2019-20		
3.	2020-21		

Date:

Signature of the Auditor/Seal  
Chartered Accountant  
(name and Address)

Place:

Tel. No. :-

Mob.No. :-

## **Annexure 2**

### **Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications**

#### **Declaration by the Bidder**

In relation to my/our Bid submit to.....For procurement of.....in response to their notice Inviting Bids No.....Date.....I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the state Government or any local authority specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer. not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document which materially affects fair competition;

Date:

Signature of Bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

### घोषणा—पत्र

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमने निविदा शर्तों के विरुद्ध कोई शर्तें नहीं लगाई हैं यदि कहीं अंकित कर दी गई हैं तो निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

बोली की समरत जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है। वारतव में निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित कार्मिक उपलब्ध है तथा अधिनियम की धारा 46 एवं नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संरथा से अपाव्रता के लिये विवर्जित नहीं है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जावें तो विभाग अन्य कार्यवाही के साथ ही धरोहर राशि जब्त कर सकेगा और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई हो तो उसे निरस्त कर अमानत राशि/सिक्युरिटी राशि जब्त कर सकेगा।  
दिनांक.....

हस्ताक्षर निविदादाता  
संस्था/फर्म का नाम